भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 1585 #

गुरूवार, 12 फरवरी, 2026/23 माघ, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास

1585 # श्री हर्ष महाजन:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाएं/कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं;

(ख) राज्य में पर्यटन अवसंरचना, होम-स्टे, साहसिक पर्यटन, धार्मिक/इको-टूरिज्म एवं स्थानीय रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करने तथा ऐसे पर्यटन स्थलों/गांवों को विकसित करने के लिए, जो अभी तक पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख रूप से नहीं हैं, कोई नई विशेष योजना प्रस्तावित है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य के लिए प्रस्तावित बजट कितना है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): पर्यटन स्थलों का संवर्धन एवं विकास मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय अपने निरंतर प्रयासों के अंतर्गत, प्रचार कार्यक्रमों एवं आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार (डीपीपीएच) योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को मेलों, महोत्सवों और पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन हेतु केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करने सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश राज्य सहित भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों को समग्र रूप से बढ़ावा देता है। जैसी विभिन्न पहल करता है।

पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन' (एसडी) और 'राष्ट्रीय तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' नामक योजनाओं के तहत हिमाचल प्रदेश सहित देश भर में पर्यटन संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पर्यटन मंत्रालय ने अब राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से पर्यटन एवं गंतव्य-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थायी और जिम्मेदारीयुक्त पर्यटन स्थलों का विकास करने के उद्देश्य से अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) के नाम से नया रूप दिया है। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत एक उप-योजना 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास' (सीबीडीडी) के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस उप-योजना का उद्देश्य पर्यटन वैल्यू चेन के सभी पहलुओं में

पर्यटक के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए गंतव्यों का समग्र विकास करना है, ताकि हमारे पर्यटन स्थलों को स्थायी और जिम्मेदारीयुक्त गंतव्यों में परिवर्तित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकारों को 'पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता (एसएएससीआई) - वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास' नामक योजना के लिए परिचालन दिशानिर्देश और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का टेम्पलेट भी जारी किया है। केंद्रीय एजेंसियों को सहायता (एसीए) के अंतर्गत केंद्रीय वित्तीय सहायता योजना में आईटीडीसी, डब्ल्यूएपीसीओएस, बीईसीआईएल, एएसआई, पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय आदि जैसी केंद्रीय एजेंसियों को पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

पर्यटन मंत्रालय ने आतिथ्य क्षेत्र के विभिन्न स्तरों को कवर करते हुए पर्यटन सेवा प्रदाताओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (सीबीएसपी) योजना शुरू की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश राज्य सहित देश की विशाल पर्यटन क्षमता का पूर्ण लाभ उठाने और पेशेवर विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए पर्यटन सेवा प्रदाताओं के प्रत्येक स्तर पर मानव संसाधन को प्रशिक्षित और उन्नत करना है। सीबीएसपी योजना के माध्यम से कार्यान्वित प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यटन सेवा प्रदाताओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है, ताकि वे अनौपचारिक से औपचारिक नौकरियों में जा सकें, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके और/या उनके काम करने की स्थिति में सुधार हो सके।

भारत को वैश्विक स्तर पर साहसिक पर्यटन और पारिस्थितिकी पर्यटन के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने साहसिक पर्यटन और पारिस्थितिकी पर्यटन के लिए दो अलग-अलग राष्ट्रीय रणनीतियां तैयार की हैं।

भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश सहित पूरे देश में पर्यटन क्षमता का अधिकतम लाभ उठाने के लिए होमस्टे की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु 2025-26 की बजट घोषणा में होमस्टे के लिए बिना गिरवी के मुद्रा ऋण की संस्थागत पेशकश की घोषणा की है।

(ग): ग्रामीण पर्यटन के लिए पर्यटन मंत्रालय की निम्नलिखित पहलें इस प्रकार हैं:-

(1) भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप - आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक पहल। रणनीति दस्तावेज निम्नलिखित प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है:

(i) ग्रामीण पर्यटन के लिए आदर्श नीतियां और सर्वोत्तम प्रथाएं
(ii) ग्रामीण पर्यटन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियां और प्लेटफॉर्म
(iii) ग्रामीण पर्यटन के लिए क्लस्टर विकसित करना
(iv) ग्रामीण पर्यटन के लिए विपणन सहायता
(v) हितधारकों का क्षमता निर्माण
(vi) शासन और संस्थागत ढांचा

(2) ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए सचिव (प) की अध्यक्षता में एक कार्य बल का गठन किया गया, जिसमें चिह्नित केंद्रीय मंत्रालयों/संगठनों, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के प्रतिनिधि और उद्योग के हितधारक शामिल थे।

(3) पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की प्रतियोगिता के दो संस्करण आयोजित किए हैं, ताकि उन गांवों को सम्मानित किया जा सके, जो सामुदायिक मूल्यों, वस्तुओं और जीवनशैली को संरक्षित करने और बढ़ावा देने वाले पर्यटन स्थल का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और जिनका स्थायित्व के प्रति स्पष्ट समर्पण है तथा जिसका मुख्य लक्ष्य पर्यटन को सकारात्मक परिवर्तन के प्रमुख कारकों में से एक बनाना है। अभी तक इकहत्तर गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के रूप में मान्यता दी जा चुकी है।

*****